फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

चिमनाराम बनाम कुम्भाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 297/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.09.2020	प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु में आई हुई है। प्रार्थीगण वकील के कथनानुसार प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में विप्रार्थीगण हस्तक्षेप, दखलअन्दाजी कारित करने व कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 28.10.20 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 295, 526/276, 533/288 रकबा क्रमशः 8.2114, 2.2167, 12.1997 हेक्टेयर की भूमि में प्रार्थी के कब्जे व काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल–अदांजी, हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करे। न ही किसी प्रकार का कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभयपक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगण को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 28.10.20 को पेश हों।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested

07/10/20

विपक्षी संख्या-1 से 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब करने का प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 से 3 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या-1 से 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 13/10/2020 को पेश हो। तब तक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा।

[signature]
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

13/10/2020

प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 से 3 व 5 के अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई विपक्षी संख्या-1 से 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की उक्त विवादित भूमि प्रार्थी व विपक्षीगणों की शामलाती कृषि भूमि है जिस प्रार्थी व विपक्षीगणों का अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है जिस पर प्रार्थी व विपक्षीगणों के ढाणियां, टांके, चारबाड़े व पशुबाड़े बने हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों का निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.09.20 को एकतरफा [illegible] यथास्थिति बनाये रखने का [illegible] जबकि विपक्षीगण मौके का [illegible] योजना के तहत आवास या [illegible] नहीं करवा पा रहे है। इसलिए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रा. अपील क्र.-297/20 अनवान- चिमनाराम v/s कुम्भाराम वगैरा दिनांक 30/09/2020 से मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा से बहाल किया जावे। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने व पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड एवम् विपक्षी संख्या-1 से 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन करने के बाद पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30/09/2020 मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत से यहां तक बहाल किया जाता है कि प्रार्थी व विपक्षीगण संख्या-1 से 3 व 5 अपने कब्जे काश्त तक किसी प्रकार का निर्माण वगैरा कर सकते हैं तथा दोनों पक्षों को पाबन्द किया जाता है कि दोनों पक्ष अपने-अपने कब्जे काश्त में निर्माण करने के लिए बाध्य नहीं है। शेष स्थगन से दोनों पक्ष पाबन्द रहेंगे की अपने कब्जे काश्त से हटकर कोई किसी प्रकार का पक्का या कच्चा निर्माण नहीं करें। शेष स्थगन पूर्व आदेशानुसार यथावत रहेगा। पत्रावली विपक्षी संख्या- 4 व 6 से 8 की तलबी के इन्तजार में पूर्व नियत दिनांक 28/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
28/10/2020	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-1 से 3 व 5 के वकील उपस्थित। शेष विपक्षीगण [illegible] तामील कदम तामील [illegible] अधिकारी दिगर कार्यों [illegible] इत्तला होकर आगामी दिनांक 09/12/20[illegible] पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म [illegible] में जारी
09/12/2020	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 17/02/2021 को पेश हो। [initials]	
17/02/21	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 से 3 व 5 के वकील उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 08/06/21 को पेश हो। [initials]	
08/06/21	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 से 3 व 5 के वकील उपस्थित। शेष विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल कस्म तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 13/08/2021 को पेश हो। [initials]	
13/08/21	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/11/21 को पेश हो। [initials]	
12/11/21	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-4 व 6 से 8 के नोटिस तामिल कस्म तामिल अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव[illegible] अभियान-2021 में व्यस्त [illegible] मिसल इ[illegible] होकर आगामी दिनांक 22/11/[illegible] को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/11/21	बकुलाण करीकेन उपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 30/11/2021 को पेश हो।	
30/11/2021	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत डोमरिया में रखी गई। बकुलाण करीकेन उपस्थित/विपक्षी संख्या-4 की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 06/12/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
06/12/2021	पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत नागोणी धनवालों की ढाणी में रखी गई। बकुलाण करीकेन उपस्थित/प्रार्थी व विपक्षी संख्या-4 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, विपक्षी संख्या-4 के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी द्वारा एकतरफा मोके का स्थगन प्राप्त कर मुझे अन्याई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया गया जिससे मैं मेरे कब्जे काश्त की भूमि में भी सरकार [illegible] प्राप्त सरकारी आवास [illegible] करवा पाता हूँ। [illegible] पूर्व में जो स्थगन [illegible] प्रार्थी को अपने हक हिस्से तक ही स्थगन प्राप्त करने का अधिकार है लिहाजा हमारे विरुद्ध	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहलकार ... हुक्म की ... में जारी हुआ
	पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-30/09/2020 को हटाया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा बहाल किया जावे। अतः प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-4 के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक-30/09/2020 मौके की यथास्थिति बनाये रखने का प्रार्थी के हक हिस्से तक ता फैसला वाद कन्फर्म किया जाता है तथा शेष विप्रार्थीगणों के विरुद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:18:18 IST
Reason: SelfAttested